संख्या- 177 /2023/ 867 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2023

विषय- लमही महोत्सव- 2022 में आयोजित कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 4481/सं0नि0-15(3)/2011-12, दिनांक 17 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लमही महोत्सव- 2022 में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तावित व्यय धनराशि रू0 5,26,961.00 में से फोल्डर, पेन, नोटपैड पर व्यय धनराशि रू0 51,625.00 को औचित्यपूर्ण न पाते हुए अवशेष वास्तविक धनराशि रू0 4,75,336.00 (रू0 चार लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय- 12- आजादी का अमृत महोत्सव -42- अन्य व्यय मद से वहन किया जाएगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 177 /2023/ 867 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in